



2026:AHC: 14520

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 41765/2025

तारा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अम्बरीष कुमार, मुजीबुर्रहमान

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3- वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल अनुतोष प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थ नगर को दाखिल-खारिज वाद संख्या 1056 वर्ष 2017 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T2017176351021056) (तारा देवी बनाम कुबेर) का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय करने का निर्देश देना है।

4- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय एक समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(7). तहसीलदार दाखिल-खारिज के अविवादित वाद का निर्णय वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और दाखिल-खारिज के विवादित वाद का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

5- यह आगे तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसीलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थ नगर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वाद का निर्णय करने का निर्देश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

सकलेन